

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-२/लेखा-३६-०२/२००९- १०७

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 18.4.12

विषय- (अकुशल अंशकालीन पारिश्रमिक) श्रम संसाधन विभाग के द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक का भुगतान करने के संबंध में।

संदर्भ- विभागीय पत्रांक-1804 दिनांक-11-8-11.

महाशय,

कृपया उर्पयुक्त विषयक श्रम संसाधन विभाग के अधिसूचना संख्या-1242 दिनांक 21.03.2012 तथा इस विभाग के पत्रांक-1804 दिनांक-11-8-11 का संदर्भ किया जाय। श्रम संसाधन विभाग के उक्त अधिसूचना के द्वारा अकुशल मजदूरों की पारिश्रमिक की न्यूनतम दर दिनांक-1-4-12 के प्रभाव से 151/-रु० प्रति दिन निर्धारित की गई है।

पूर्व में इस विभाग के संदर्भाधीन पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि श्रम संसाधन विभाग की प्रश्नगत अधिसूचना द्वारा अकुशल मजदूरी का दर प्रतिघंटा या अंशकालीन के लिए नहीं बल्कि प्रतिदिन के लिए निर्धारित किया गया है। अतः अंशकालीन कार्यो हेतु न्यूनतम मजदूरी का भुगतान प्रति घंटे या पार्ट टाइम के आधार पर करने का कोई आधार नहीं है। श्रम संसाधन विभाग की उक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित दर से कम मजदूरी का भुगतान करना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

वर्णित स्थिति में पुनः अनुरोध है कि कृपया आपके अधीन मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अन्य संस्थानों में सफाई कर्मी, झाड़ूकश इत्यादि अन्य अकुशल कर्मियों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी के दर से पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,



(रवि परमार) 16.4.12

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-२/लेखा-३६-०२/२००९- १०७

पटना, दिनांक- 18.4.12

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव 16.4.12

(182)

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना।

एस0 ओ0-

दिनांक-

पटना, दिनांक- 21.3.12

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-02 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्त मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई-2011	193	4.63X4.93	4405.39
अगस्त-2011	194	4.63X4.93	4428.22
सितम्बर-2011	197	4.63X4.93	4496.70
अक्टूबर-2011	198	4.63X4.93	4519.52
नवम्बर-2011	199	4.63X4.93	4542.35
दिसम्बर-2011	197	4.63X4.93	4496.70
योग:			26,888.88
औसत: - $26,888.88 \div 6 = 4481.48$			

अनुसूची-1(ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या - 2778, 2779 दि0 28.09.2011 गजट सं0-558 दि0 29.09.2011	कुल 69- अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य		

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4)केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रैटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7)एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9)बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11)पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15)चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रिम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग- (23)दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड,एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग- (33) हैंडलूम उद्योग-(34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उद्योग- (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश-

21.3.12

180

(40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं—(42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल— (43) तेल मिल— (44) मुद्रणालय— (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान— (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट—(47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले— (48) कोल्ड स्टोरेज— (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)— (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य— (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य— (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज— (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें— (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं— (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)—कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग— (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान— (58) प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी— (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ट्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग—(60) पौट्रीज— (61) ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शौप्स— (62) हार्ड कोक भट्टे—(63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकार्स्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (रुपये में)	भी०डी०ए० की राशि जो कि दि० -01.04.2012 से प्रभावी होगी	01.04.12 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	144.00 प्रतिदिन	7.00	151.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	150.00 प्रतिदिन	8.00	158.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	183.00 प्रतिदिन	9.00	192.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	223.00 प्रतिदिन	11.00	234.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	4134.00 प्रतिमाह	207.00	4341.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2011 के औसत के आधार पर अप्रैल- 2012 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम०डब्लू०-403 /07 श्र०नि०-1242)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.3.12

(गरीब साहु)

सरकार के विशेष सचिव।

अधिसूचना

पटना, दिनांक-21.2.12

एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0नि0-1243)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(गरीब साहु)
सरकार के विशेष सचिव।

NOTIFICATION

S.O. Date Patna, dated- In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, and also after consulting the Bihar Minimum Wages Advisory Board; the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to be appended for the months shown in column-2 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)			
Month & Year	Index NO Base Year (2001- 100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July-2011	193	4.63X4.93	4405.39
August-2011	194	4.63X4.93	4428.22
September-2011	197	4.63X4.93	4496.70
October-2011	198	4.63X4.93	4519.52
November-2011	199	4.63X4.93	4542.35
December-2011	197	4.63X4.93	4496.70
Total		4.63X4.93	26,888.88
Average	26,888.88÷6=	4481.48	

21.2.12

178

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69-General Work	Notification No- 2778, 2779 dated- 28.09.2011 Gazette No.- 558 dated- 29.09.2011	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry
 (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6)
 Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8)
 GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11)
 Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hosieries Manufactory Corrugated
 Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather
 good (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol
 and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private
 Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Dafti, Card Board, Mill Board,
 Paper Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar
 Manufactory.(24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole
 and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27)
 Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries
 (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture) (30)
 Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry (32) Tailoring Industry (33)
 Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nurshing Home and Clinic (35)
 Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry-(38) Glass
 Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40)
 Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design.(41)
 Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43)
 Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops and establishment (46) Public
 Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving
 establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding
 Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction
 & Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building
 Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food
 stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work(Factory &
 Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University,
 Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security (59)
 Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile
 Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered
 Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries
 (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles
 etc.,works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

22.3.12

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is Effective from the date 01.04.2012 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.12 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	144.00	7.00	151.00 Per day
2.	Semi skilled	150.00	8.00	158.00 Per day
3.	Skilled	183.00	9.00	192.00 Per day
4.	Highly Skilled	223.00	11.00	234.00 Per day
5.	Supervisory/ Clerical	4134.00	207.00	4341.00 Per month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July - December, 2011** will be payable at the aforesaid rates from **April, 2012** and there after increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 403 /07 L&E- 1242)

By the order of the Governor of Bihar

(Garib Sahu)

Special Secretary to Government of Bihar

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0- 1243 पटना, दिनांक- 21.3.12
प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/
निदेशक,श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य
मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार,पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/
सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त,
शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0सहित) निदेशक,
कृ0श्र0, बिहार,पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी,बिहार,पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार,
पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार,
पटना एवं सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(गरीब साहु)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0- 1243 पटना, दिनांक- 21.3.12
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष,बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद /
सभी सदस्य,बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द
चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना /
प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना
/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार,पटना / मुख्य अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने
वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का
कष्ट करेंगे ।

(गरीब साहु)

सरकार के विशेष सचिव ।